न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 51 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00075

प्रार्थी :– **बनाम** **अप्रार्थीः–**

सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

1. रामदेव पुत्र हीरा जाति हरिजन निवासी बाबरा तहसील रायपुर

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:: आदेश ::–

दिनांक– 07.06.2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रामगढ पटवार मण्डल बाबरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 899 / 7 रकबा 5.00 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 1457 के राजस्व रेकर्ड में आवंटी को बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 बाली थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम बाबरा (रामगढ) के नामान्तरकरण संख्या 1457 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम रामगढ पटवार मण्डल बाबरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 899 / 7 रकबा 5.00 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 899 कि किस्म गै0मु0 बाली है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 1457 के जरिये आवंटी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 899 की किस्म गै0मु0 बाली थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी / नाला / वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी / नाला / वाला की भूमि का आवंटन / नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. बाली दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आंवटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किए आवंटन एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम बाबरा (रामगढ़) तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 1457 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)